

स्वच्छ भारत अभियान: एक यथार्थ अवलोकन

१डॉ० लक्ष्मीना भारती

१प्रोफेसर—राजनीतिशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय, फतेहपुर, उ०प्र०

Received: 20 Jan 2024, Accepted: 28 Jan 2024, Published with Peer Reviewed on line: 31 Jan 2024

Abstract

भारत एक ऐसा देश है, जो विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए संघर्षरत है किन्तु यह दुर्भाग्य है कि उसकी आधी से अधिक आबादी के पास दैनिक निवृत्ति हेतु घर में शौचालय का कोई इंतजाम नहीं है। आज भी बहुत सारे लोगों के लिए यह स्वप्न ही है। यह स्थिति शहरों के साथ-साथ गाँवों में भी बनी हुई है। गाँवों में शौचालय की सुविधा की रफ्तार काफी धीमी है। वहाँ खुले में शौच जाना एक मजबूरी और गम्भीर समस्या बनी हुई है। सरकार द्वारा निरन्तर इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है किन्तु फिर भी यह समस्या आज भी विकराल रूप में मौजूद है। गाँवों में बहुत सारे लोग शौचालय होने के बावजूद भी उसका इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उनका मानना है कि खुले में शौच जाना स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। इस कारण भी भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा स्वच्छ भारत अभियान सफल नहीं हो पा रहा है। साथ ही एक नागरिक के तौर पर जिम्मेदारी और दायित्व बोध के अभाव में भी देश में गंदगी और अराजकता को बढ़ाने का काम किया है। लचर कानून व्यवस्था और गंदे स्थल इसमें सहायक होते हैं, जबकि विदेशों में बहुत सारे जगहों पर ऐसा करने पर जुर्माना लगता है जिसके चलते वहाँ स्वच्छता व्यवस्था बनी रहती है।

शब्द संक्षेप— गाँवों में शौचालय, स्वच्छ भारत अभियान, यथार्थ अवलोकन

Introduction

आजकल घरों में विशेषकर समृद्ध धनाद्य परिवारों में पालतू जानवर रखना भी एक बड़ा शौक हो गया है जिसके चलते भी भारत में जगह-जगह पर गंदगी रहती है, क्योंकि भारत में प्रायः टहलते हुए पालतू जानवरों को नित्य क्रिया करवाते हैं। सार्वजनिक स्थलों पर जबकि विदेशों में बहुत सारे जगहों पर लोग दस्ताने रखते हैं और ऐसे कार्यों के लिए जिससे उसे साफ कर सकें। भारतीय समाज में प्रायः घर का कूड़ा सड़कों पर इधर-उधर बिखरा रहता है जबकि विदेशों में यथास्थान न फेंकने पर जुर्माना लग जाता है। यद्यपि सरकार ने जगह-जगह पर कूड़ेदान की व्यवस्था की है किन्तु फिर भी कुछ लोग लापरवाही और आलसवश उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं जिससे स्वच्छता अभियान अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा है।

यूनीसेफ 2007 के अनुसार भारत में 2007 में 3 लाख 86 हजार 6 सौ बच्चे डायरिया से मर गए, जो विश्व में सबसे ज्यादा है। खुले में शौच से बच्चों, महिलाओं एवं बूढ़ों पर विशेष घातक असर दिखाई देता है। विडम्बना यह है कि भारत में लोग शौचालय से ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। 2010 में आई यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है जिसके बाद भारत सरकार और तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने नारा दिया था, शौचालय

नहीं तो वधू नहीं। यू०एन० के अनुमानित आँकड़े के अनुसार भारत में 59 करोड़ 40 लाख लोग शौच के लिए खुले में जाते हैं, जो पानी में सूक्ष्म जीवाणु संक्रमण का मुख्य कारण है जिसकी वजह से डायरिया जैसी बीमारियां होती हैं। आज भी वैश्विक स्तर पर लगभग 2–6 अरब लोगों के पास किसी भी तरह के शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि गंदगी के कारण हर वर्ष भारत के प्रत्येक नागरिक को करीब 6500 रु० का अतिरिक्त नुकसान झेलना पड़ता है। बीमार व्यक्ति बीमारी के कारण आटो रिक्शा नहीं चला पाता है, अखबार बाँटने के लिए नहीं जा सकता है।

वर्ष 2013 में गाँवों में लगभग 50 लाख शौचालय बनवाये गए, बावजूद इसके अब भी गाँवों के लगभग 10 करोड़ घर ऐसे हैं जहाँ शौचालय नहीं है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में केन्द्र में इस मद में 4260 करोड़ रुपये का बजट रखा है और राज्यों ने इसके लिए लगभग 100 करोड़ रु० ले रखे हैं। सूत्र बताते हैं कि इसके बावजूद घर–घर में शौचालय बनाने की चुनौती आसान नहीं है। सिर्फ 18प्रतिशत ग्रामीण भारत में पाइप से पानी आता है इतने पानी में यह संभव नहीं है कि दूसरे जरूरी काम भी हो जाए। ऐसे में शौच के लिए अतिरिक्त पानी की उपलब्धता मुश्किल है। एक प्रतिशत से भी कम गाँवों में सीवरलाइन है। जन स्वास्थ्य ऐसो०, हिन्दी वाटर पोर्टल (2013) के अनुसार केवल 53प्रतिशत भारतीय शौच के बाद साबुन से हाथ धोते हैं, केवल 38प्रतिशत खाने से पहले साबुन से हाथ धोते हैं और केवल 30प्रतिशत लोग खाना पकाने के पहले साबुन से हाथ धोते हैं। केवल 11प्रतिशत भारतीय ग्रामीण परिवारों में बच्चों के मल का निपटान सुरक्षित रूप से होता है। 80प्रतिशत बच्चों के मल को खुले में छोड़ दिया जाता है या कचरे में फेंक दिया जाता है। साबुन से हाथ धोना, विशेष रूप से मलमूत्र के सम्पर्क के बाद, डायरिया के मामलों को 40प्रतिशत श्वसन संक्रमण को 30 प्रतिशत तक कम कर सकता है।

अपर्याप्त साफ–सफाई के कारण भारत को हर साल लगभग 3.2 लाख करोड़ रु० का नुकसान होता है। भारत में कुपोषण के लिए साफ–सफाई या ऐनिटेशन की खराब हालत भी जिम्मेदार है। देश में 5 साल से कम उम्र के 6.2 करोड़ बच्चों के उचित शारीरिक और मानसिक विकास के अनुकूल साफ–सफाई वाला वातावरण नहीं मिल पाता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और एक लोकतांत्रिक राज्य का यह दायित्व है कि वह अपने देश में निवास करने वाले सभी नागरिकों को आवश्यक जन–जीवन की सुविधाएं मुहैया कराये जिसमें स्वच्छ जल, स्वच्छ पर्यावरण तथा शौचालय अति आवश्यक है। बिना इसके स्वस्थ जीवन सम्भव नहीं है। शौचालय उपलब्ध न होने के कारण शौच के लिए बाहर खुले में जाना पड़ता है जिससे काफी समय आने जाने में बर्बाद होता है। महिलाओं को विशेष रूप से परेशानी का सामना करना पड़ता है, कई बार उन्हें मुश्किल हालातों का सामना पड़ता है, क्योंकि इस कार्य के लिए उन्हें अंधेरे का इंतजार करना पड़ता है। सुबह और शाम के अंधेरे में शौच के लिए जाने वाली महिलाओं, बालिकाओं का यौन शोषण भी होता है साथ ही बीमारी के दिनों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार बुजुर्ग एवं बच्चों को भी बाहर शौच जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बाहर शौच जाने पर अक्सर जहरीले साँप या अन्य जंगली जानवर से खतरा रहता है, इसके अलावा बहुत

सारी बीमारियाँ जन्म लेती हैं। घर में पेयजल की कमी के कारण उन्हें गाँव में उपलब्ध सार्वजनिक जलस्रोत से ही पानी लेना पड़ता है जिससे कई बीमारियाँ पनपने का डर रहता है। पेयजल की समस्या के कारण ग्रामवासियों को कई बार घर से बहुत दूर पानी लेने के लिए जाना पड़ता है जिससे उनका समय बर्बाद होता है और उनकी मजदूरी का नुकसान होता है। कई बार सार्वजनिक जलस्रोत में खराबी आ जाने के कारण ग्रामवासियों का जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अक्सर पानी लेने के लिए लम्बी-लम्बी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है जिससे तनाव व विवाद भी उत्पन्न हो जाता है। गाँवों में नालियों की व्यवस्था न होने के कारण या टूटी-फूटी होने के कारण नालियों का गंदा पानी इधर-उधर बहता रहता है जिससे गाँव में गन्दगी बढ़ती रहती है।

(1) स्वच्छता की समस्या को दूर करने के लिए किए गए सरकारी प्रयासः— ग्रामीण पेयजल व्यवस्था और राजीव गाँधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन—राष्ट्रीय पेयजल मिशन की स्थापना 1986 में की गयी थी जो पाँच प्रौद्योगिकी मिशनों में से एक है। ग्रामीण भारत में शुद्ध पेयजल और आधारभूत स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाए जाना इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य रहा है। इस मिशन के माध्यम से कुछ चुनिन्दा समस्याओं के किफायती और कारगर समाधान के लिए विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा उपलब्ध वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी साधनों के इस्तेमाल और बेहतर जल और स्वच्छता प्रबन्धन पर जोर दिया गया। 1991 में इसका नाम बदलकर राजीव गाँधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन रखा गया। इसमें स्थानीय पंचायतें और महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बढ़—चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। यह अभियान सरकार, स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और गैर सरकारी संगठनों के बीच तालमेल की सफलता का उदाहरण कहा जाता है।

(2) स्वच्छ भारत अभियान :— यह भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ करना है। यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 से शुरू किया गया जिसमें सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत लोगों की स्वच्छता सम्बंधी आदतों को बेहतर बनाना, स्व-सुविधाओं की माँग उत्पन्न करना और स्वच्छता सुविधाओं को उपलब्ध करना, जिससे ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके। बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का उपयोग कर ग्रामीण भारत में कचरे का इस्तेमाल इसे पूँजी का रूप देते हुए जैव उर्वरक और ऊर्जा के विभिन्न रूपों में परिवर्तित करने के लिए किया जाएगा। अभियान को युद्ध स्तर पर आरम्भ कर ग्रामीण आबादी और स्कूल शिक्षकों और छात्रों के बड़े वर्गों के अलावा प्रत्येक स्तर पर इस प्रयास में देश भर की ग्रामीण पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को भी इससे जोड़ना है।

(3) राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क :— केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश भर में नदियों पर निगरानी केन्द्रों की स्थापना की है। इस नेटवर्क से 353 नदियों (979 केन्द्र), 107 झीलें (117 केन्द्र), 9 जलाशय, 44 तालाब, 15 संकरी खाड़ियाँ/समुद्री जल, 14 नहरे (44 केन्द्र), 18 नाले और 491 कुंए शामिल हैं। इनमें मैदानी अवलोकन के अलावा आस-पास के जल नमूनों का

भौतिक—रासायनिक और कीटाणु वैज्ञानिक मानक शामिल है। इसके अलावा, कुछ चुनिंदा नमूनों में 28 धातुओं के पुट और 28 कीटनाशकों का भी विश्लेषण किया जाता है।

(4) राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण का जल अधिकार अभियान— सभी नागरिकों को जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने कानूनी अधिकारों के बारे में शिक्षित और सचेत करने के लिए 'राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण' जिसका गठन राष्ट्रीय विधिक सेवा अधि0, 1987 के तहत किया गया था, द्वारा वर्तमान में जल अधिकार अभियान छेड़ा गया है। इसके अंतर्गत जल लोक अदालतों के गठन पर बल दिया जा रहा है। सभी के लिए न्याय के राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इस अभियान को कालाहांडी में भूखमरी, राजस्थान में सूखा, आन्ध्र प्रदेश में सूखे से आत्महत्या, पश्चिमी बंगाल में आर्सेनिक से अपांगता, कर्नाटक में बाढ़ से बेघर जैसे देश के करोड़ों प्रभावित लोगों को पानी की त्रासदी से उबारने हेतु न्याय दिलाने की दस्तक के रूप में प्रारम्भ किया गया है।

स्वच्छता की समस्या को दूर करने के लिए किए गए गैर—सरकारी प्रयास— स्वच्छता की समस्या को सरकारी प्रयासों के साथ—साथ गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा भी निरंतर इस दिशा में सक्रिय रूप से कार्य किया जा रहा है जिसका परिणाम भी दिखाई दे रहा है। जैसे—नरेन्द्र नीरव जो कि ओबरा का निवासी है, के लगन और प्रयास के फलस्वरूप जहाँ सूखा था वहाँ पानी दिख रहा है। लोगों को विश्वास नहीं था कि गाँव में पानी को रोका जा सकता है और इन सभी लोगों ने इसी विश्वास को पैदा किया और पानी बनाना शुरू किया।

सुलभ इन्टरनेशनल :— यह संस्था पर्यावरण की स्वच्छता, अ—परम्परागत ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबन्ध, सामाजिक सुधार एवं मानवाधिकार को बढ़ावा देने के क्षेत्र में कार्य करने वाली एक लाभनिरपेक्ष संस्था है जिसकी स्थापना डा0 बिन्देश्वर पाठक ने सन् 1974 में की। कम लागत वाले सुलभ शौचालय उपयोग की दृष्टि से व्यावहारिक है, स्वास्थ्यकर है और इन्हें साफ करने के लिए सफाई कर्मियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार यह एक व्यवहार्य विकल्प है जो इसका उपयोग करने वालों के साथ ही सफाई कर्मियों के लिए भी वरदान सिद्ध हुआ है।

जीरो बजट से तैयार शौचालय, राजीव चन्द्रेल, वर्धा :— जीरो बजट से मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में शौचालय भी कामयाब हो रहे हैं। खास बात यह है कि यह सौ प्रतिशत इकोफ्रेंडली है। इस मॉडल के शौचालय को बनाना बड़ा आसान है, गाँवों में लोग थोड़ा बहुत श्रम करके इसे खुद ही तैयार कर सकते हैं।

वेदांता समूह :— प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर अब उद्योग जगत भी बढ़चढ़ कर अपनी भागीदारी निभा रहा है। जैसे वेदांता समूह ने राजस्थान सरकार के सहयोग से पहले 30,000 शौचालय बना चुकी है और अभी 10,000 बनाने का और लक्ष्य है।

वाटर एड :— यह एक गैर सरकारी संस्था है, जो वैश्विक स्तर पर लोगों तक शौचालय व पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। इसकी स्थापना 1981 में हुई जो 27 देशों में काम कर रही है। वाटर एड की सहायता से अरबों लोगों को प्रत्येक वर्ष स्वच्छ जल व शौचालय उपलब्ध कराया

जाता है। वाटर एड क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर उन समुदायों तक पेयजल व शौचालय उपलब्ध कराता है जिनकी इन मूलभूत आवश्यकताओं तक पहुँच नहीं है।

स्वच्छता की समस्या को दूर करने हेतु सुझाव :-

1. प्रत्येक घर में शौचालय अवश्य हो इसके लिए सरकार को शौचालय बनवाने के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए।
2. प्रत्येक घर में शौचालय बनवाने हेतु सरकार को आवंटित धन सीधे समस्याग्रस्त लोगों के खाते में पहुँचाना चाहिए।
3. घर-घर में शौचालय हेतु सरकार को गैर सरकारी संस्थाओं से भी सहयोग लेना चाहिए।
4. घरों में शौचालय बनवाने हेतु प्रेरित करने के लिए सरकार द्वारा लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। साथ ही शौचालय बनवाने वाले लोगों को पुरस्कृत भी करना चाहिए जिससे अन्य लोगों को प्रेरणा मिल सके।
5. प्रत्येक घर में पेयजल की उपलब्धता हेतु सरकार को सार्वजनिक टैंक नल तथा हैण्डपम्प उपलब्ध कराये जाने चाहिए।
6. सरकार को समस्याग्रस्त लोगों के बीच जाकर उनकी राय जानकर, जल विशेषज्ञों की सहायता से पेयजल योजना बनानी चाहिए।
7. पेयजल से सम्बंधित समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा टोल फ्री नम्बर उपलब्ध कराना चाहिए।
8. पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए सरकार को प्रत्येक 10 परिवारों के बीच में एक नल, हैण्डपम्प उपलब्ध कराना चाहिए।
9. जल की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए विशेष कमेटी का गठन किया जाना चाहिए ताकि समय-समय पर जलीय संसाधनों की जाँच हो सके।
10. लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए समय-समय पर जागरूकता शिविर लगाया जाना चाहिए।
11. जगह-जगह पर कूड़ेदान की व्यवस्था की जानी चाहिए।
12. नुककड़ नाटक के माध्यम से भी स्वच्छता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
13. स्वच्छता को बढ़ावा देने एवं जागरूकता लाने के लिए स्कूलों एवं कॉलेजों में शिक्षकों द्वारा भी विभिन्न माध्यमों जैसे—पोस्टर, स्लोगन, चलचित्र इत्यादि के माध्यम से बच्चों को जागरूक किया जाना चाहिए।
14. गाँव में पक्की नालियों की व्यवस्था की जानी चाहिए।
15. स्वच्छता हेतु आवश्यक सफाई कर्मियों को भी नियुक्त किया जाना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. अग्रवाल, उमेश चन्द्र (2006) ग्रामीण क्षेत्र में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के प्रयास, कुरुक्षेत्र, अंक मार्च—2006
2. मुखर्जी रविन्द्र नाथ, (2009) सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी, विवेक प्रकाशन, दिल्ली।
3. छाबड़ा संकल्प (2010) गाँव के लिए पेयजल, योजना, अंक—जुलाई 2010
4. पांडा रंजन के0 (2012), जल और स्वच्छता का जटिल अंतर्सम्बंध, योजना, अंक—मई 2012
5. प्रो0 गुप्ता एम0एल0, शर्मा डॉ0 डी0डी0, (2012) साहित्य भवन, समास्थास्त्र, आगरा।
6. अग्रवाल जी0के0, भारतीय समाज: मुद्दे एवं समस्याएं, (2013) साहित्य भवन, आगरा
7. राष्ट्रीय सहारा, 25 जन0 2014, कानपुर संस्करण।
8. अमर उजाला, 15 सित0 2014, कानपुर संस्करण।
9. राष्ट्रीय सहारा, 17 अक्टू0 2014, कानपुर संस्करण।
10. Vikaspedia.in/health/sanitation-and-hygiene
11. Wikipedia.org/s/rvb
12. Globalhandwashing.org/ghw-day
13. www.indiasanitationportal.com
14. Wikipedia.org/wiki/demographics-of-uttar-pradesh
15. Wikipedia.org/wiki/2011-census-of-India